न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : स्वदीप सिंह
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2639–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–2012 पारित द्वारा कलेक्टर जिला धार प्रकरण कमांक 02/2011–12/स्वनिगरानी.

1 जमनाबाई बेवा बाल्या कुल्मी (मृत) वारिसान
हिरालाल पिता स्व0 श्री बाल्याजी
उम्र 62 वर्ष धंधा कृषि पता पाटीदार चौक
निसरपुर
2 संदीप पिता हीरालाल कुल्मी
3 कुलदीप पिता देवदास कुल्मी
4 श्यामसुन्दर पिता परसराम कुल्मी
सभी निवासीयान ग्राम निसरपुर
तहसील कुक्षी जिला धार म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदक

श्री कैलाश पाटीदार अभिभाषक, आवेदकगण
श्री हेमंत मुंगी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 26 जून 2014)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश 20–4–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पारसमल करनावट निसरपुर के द्वारा कलेक्टर, धार के समक्ष इस आशय की शिकायत की गई कि ग्राम निसरपुर की कृषि भूमि की रजिस्ट्री दिनांक 4–3–2005 को हुई थी और अनुविभागीय अधिकारी, कुक्षी द्वारा दिनांक 20–4–2005 को अवैध रूप से भूमि का व्यपवर्तन कर दिया गया है, जबकि तहसील कुक्षी अधिसूचित क्षेत्र होकर 10 वर्ष तक भूमि का व्यववर्तन नहीं किया जा सकता है । उक्त शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा जांच कराई जाने पर पाया गया कि ग्राम निसरपुर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 38/1/2 एवं 41 रकबा 0.080 हेक्टेयर भूमि का व्यपवर्तन अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अ–2/04–05 में पारित आदेश दिनांक 20–4–2005 से किया गया है । उक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 165 (6) (डड) एवं 172 (6) (क) का लोप किया गया है । अतः कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाकर दिनांक 20–4–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–4–2005 निरस्त किया गया एवं प्रश्नाधीन भूमि पुनः मूल रूप में लाये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा धारा 165 (6) (डड) में जिले के लिये 6 साल पश्चात व्यपवर्तन का प्रावधान है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि जमनाबाई की थी और मौके पर कब्जा उसके पोते संदीप का था और अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें भूमिस्वामी एवं कब्जेदार दोनों के हस्ताक्षर है । तर्क में यह भी कहा गया कि भूमिस्वामी जमनाबाई द्वारा अपने पोते को भूमि विक्रय की गई है और आवेदकगण आदिवासी नहीं होकर पिछडे वर्ग के है, अतः संहिता की धारा धारा 165 (6) (डड) लागू

नहीं होती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा 6½ वर्ष पश्चात स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है, जो कि अत्यधिक विलंबित है, अतः कलेक्टर का आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि आवेदक कमांक 2, 3 एवं 4 का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा 10 वर्ष से भी अधिक समय से था और जमनाबाई द्वारा उक्त भूमि का विक्रय किया गया है, कब्जा नहीं दिया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि डायवर्शन आदेश त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद भी 2 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरांत स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है । यह भी कहा गया कि सर्वे कमांक 38/1/2 का विक्रय नहीं किया गया है केवल सर्वे नंबर 41 का विक्रय किया गया है, परन्तु कलेक्टर द्वारा दोनों सर्वे नंबरों की भूमि का व्यववर्तन निरस्त करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि औद्योगिक उपयोग के लिये व्यपवर्तित कराई जाकर आवेदकगण द्वारा लाखों रूपये खर्च किये गये है, अतः व्यपवर्तन निरस्त करने से आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति हुई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 172 के अनुसार व्यपवर्तन की केवल सूचना देना पर्याप्त है। तर्क के समर्थन में 2007 राजस्व निर्णय 65, 2007 राजस्व निर्णय 71, 1997 राजस्व निर्णय 224, 2001 राजस्व निर्णय 9, 2011 राजस्व निर्णय 273, 280, एवं 2002 राजस्व निर्णय 156 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की ओर से सर्वे कमांक 38/1/2 एवं 41 का संयुक्त रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । यह भी कहा गया कि आवेदन पत्र प्रस्तुत होने एवं आदेश पारित होने के बीच में ही जमनाबाई द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित कर प्रश्नाधीन भूमि संदीप को विक्रय कर दी गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यपवर्तन केवल भूमिस्वामी करा सकता है, कब्जेदार नहीं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 20–4–2005 निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि

प्रश्नाधीन भूमिया जमनाबाई के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है और खसरे के कालम नंबर 12 में किसी भी कब्जेदार का नाम दर्ज नहीं है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र जमनाबाई, संदीप, कुलदीप एवं श्यामसुंदर द्वारा प्रस्तुत किया गया है और उसमें कुलदीप, संदीप एवं श्यामसुंदर का कब्जा होना दर्शाया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र पर इस तथ्य की जांच कराये बगैर कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 का कब्जा है अथवा नहीं प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है । इस प्रकरण में महत्वपूर्ण विचारणीय बिन्दु यह है कि आवेदकगण की ओर से दिनांक 20–11–2004 को व्यपवर्तन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 20–4–2005 को व्यपवर्तन आदेश पारित किया गया है । इस दौरान जमनाबाई द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय कब्जेदारों को कर दिया गया है। संहिता की धारा धारा 165 (6) (डड) में प्रावधानित है कि अधिसूचित क्षेत्र में आदिम जनजाति के भूमिस्वामी से भिन्न किसी भूमिस्वामी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, आदिम जनजाति का न हो अंतरित की गई कृषि भूमि ऐसे अन्तरण की तारीख से 10 वर्ष की कालावधि का अवसान होने के पूर्व किसी अन्य प्रयोजन के लिये व्यपवर्तित नहीं की जायेगी । अभिलेख से स्पष्ट है कि कब्जेदार आवेदक क्रमांक 2 लगायत 4 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि 4–3–2005 को क्रय की गई थी, अतः उपरोक्त प्रावधान के अनुसार 10 वर्ष तक प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन नहीं हो सकता था, इसके बावजूद भी आवेदकगण द्वारा उक्त तथ्यों को छिपाकर प्रश्नाधीन भूमि का व्यपवर्तन कराया गया है, जिसे विधिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है । ऐसी स्थिति में कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के अवैधानिक आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि वरिष्ट अधिकारी के आदेश पर स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही नही की जा सकती है, क्योंकि कलेक्टर द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर जांच में यह पाते हुये कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यपवर्तन आदेश पारित करने में संहिता की धारा धारा 165 (6) (डड) एवं 172 (6) (क) का लोप किया गया है, स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है । केवल यह उल्लेख कर देने मात्र से कि आयुक्त के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण स्वप्रेरणा से निगरानी में लिया जाता है, यह नहीं माना जायेगा कि कलेक्टर द्वारा

वरिष्ट अधिकारी के निर्देश के पालन में स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही की गई है । उनका यह तर्क भी मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही 6½ वर्ष पश्चात की गई है, जो कि अत्यधिक विलंबित है । क्योंकि जहां कोई आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित हो, वहां समय सीमा का बंधन लागू नहीं होता है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा जो न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है वह इस प्रकरण के लिये प्रासंगिक नहीं होने से उन पर विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2012 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर